

15<sup>6</sup>/<sub>18</sub>

पत्रावली संख्या कोर्ट काफ़ेस में भेजा जाये।  
बाकी का कार मुआविका रसीदात दिखी दिखी  
जाये है निर्दिष्ट पत्रिका से शाहीन पत्र. दिखी  
पत्रावली संख्या सुझाव होकर जवाब देना है  
अथवा कार शाहीन कोर्ट काफ़ेस में हो।

उपस्थंड अधिकारी  
कोटकासिम (अलवर)

( आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

( न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम )  
( पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट )केम्प

पीठासीन अधिकारी ..... श्री विवेकानंद शर्मा A.A.S  
..... उमवान  
..... बनाम ..... जयप्रकाश

खाबत:- ..... 53, 100 सग. का. सं. श. सं. ....

समा नम्बर:- ..... 132/18

दिनांक:- ..... 15.6.2018

वादी की ओर से ..... की व प्रतिवादी की ओर से .....  
परिस्थिति में आज तारीख ..... को ..... ( नाम पीठासीन अधिकारी ) के समक्ष अन्तिम

पक्ष के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिग्री दी जाती कि - पक्षीका का पक्ष अक्षर रजिस्ट्रार

कलक्टर डिग्री किया जाता है कि वादी के हिससे में ख. सं. 1064/1-09, 1080/0-17

11-01, 1121/1-03 समूहों वाले साथ जोड़िया रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार रजिस्ट्री ।

प्रतिवादी सं. 1 जोड़िया के हिससे में ख. सं. 463/2-00, 289/0-08, 16/0-13, 231/0-18

61/0-13, 1353/1-00 वाले साथ जोड़िया रजिस्ट्री

प्रतिवादी सं. 5 का पक्ष अक्षर के हिससे में ख. सं. 1058/0-08, 1133/1-09 वाले

सं 10/3 डि. व प्रतिवादी सं. 5 का 1/3 डि. रहेगा

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे ।

यह आज तारीख 15.6.18 को मौ हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

प्रतिवादी सं. 2 के हिससे में ख. सं. 717, समूह, 112 का 1/2, 697, 700, 714 गुलाबिका 3 सग. सं

10-16 (विस्वा) का 1/2 डि. वाले साथ जोड़िया रजिस्ट्री ।

( ..... )

.....

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चे